भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2481**

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

**यूपीआई से जुड़े साइबर अपराधों और धोखाधड़ी में वृद्धि**

2481. श्री राधाकृष्ण:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और अन्य डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म्स से जुड़े साइबर अपराधों, धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों में वृद्धि का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष दर्ज की गई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं को अनुमानित कितनी वित्तीय हानि हुई है;

(ग) यूपीआई लेनदेन की सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने और धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या डिजिटल भुगतान में शिकायत निवारण और उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कोई नया नियामक या तकनीकी ढांचा विकसित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क):** देश में डिजिटल भुगतान में वृद्धि के साथ, विगत कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) धोखाधड़ी सहित धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

**(ख):** विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान देश में रिपोर्ट की गई यूपीआई भुगतान धोखाधड़ियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

**(ग) और (घ):** यूपीआई लेनदेन धोखाधड़ी सहित भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा समय-समय पर विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से द्वि स्तरीय प्रमाणीकरण, दैनिक लेन-देन सीमा, उपयोग के मामलों पर सीमाएं और प्रतिबंध आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई सभी बैंको को एआई/एमएल आधारित मॉडल का उपयोग करके चेतावनी देने और लेनदेन को अस्वीकार करने के लिए सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक और सभी लघु बैंक एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर अपराध की रोकथाम के संबंध में प्रचार आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाते रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी सहित किसी भी साइबर घटना की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) के साथ-साथ एक राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और 'चक्षु' सुविधा शुरू की है जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है।

*****

**अनुबंध–I**

## विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीआई घरेलू भुगतान संबंधी धोखाधड़ी

| वित्तीय वर्ष | घटनाओं की संख्या (लाख में) | शामिल राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 4.07 | 242.00 |
| 2022-23 | 7.25 | 573.00 |
| 2023-24 | 13.42 | 1,087.00 |
| 2024-25 | 12.64 | 981.00 |
| 2025-26* | 10.64 | 805.00 |

*नवंबर 2025 तक

*****